

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ० साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 08/2024

आरसीएमएस नम्बर:-2021/94

श्रीमती अन्नो पुत्री बोवद खां पत्नि अजीज खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर

----- अपीलान्टस

बनाम

1. श्यामबाबू यादव पुत्र श्री घनश्याम यादव जाति यादव निवासी रामकुंज कौलोनी सैपड रोड धौलपुर
2. तहसीलदार धौलपुर

----- रेस्पोंडेण्टस


अपील व विरुद्ध नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत पुरानी छावनी, तहसील धौलपुर।

उपस्थिति:- श्री योगेन्द्र कुशवाह एडवोकेट, अपीलान्ट की ओर से
श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट रेस्पोंडेण्ट संख्या01 की ओर से

दिनांक - 28.02.2025

निर्णय

अपीलान्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी ख. नं. 204/1 रकवा 1.2139 है0 वाके ग्राम हिन्नोदा पटवार हल्का पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार अपीलार्थी एवं अपीलार्थीया के भाई शौकीन खां, हसन खां पुत्रगण बोवद खां जाति मुसलमान भरभूजा 3/5 भाग के खातेदार काश्तकार थे जिसमें से अपीलार्थीया ने अपने हिस्सा 1/5 में से 13 विस्वा यानि 0.1615 है0 भूमि अपीलार्थीया के भाई शौकीन खां, हसन खां ने अपने हिस्सा सम्पूर्ण को विक्रय रेस्पोंडेण्टस संख्या 01 के पक्ष में 03.02.2012 को तहरीर कर पंजीयन कर दिया लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलार्थीया की सम्पूर्ण आराजी नामा0 संख्या 126 दिनांक 04.04.2012 रेस्पोंडेण्टस संख्या 1 के पक्ष में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीया ने यह अपील पेश की है। अपीलार्थीया ने आ.ख.नं. 204/1 रकवा 1.2139 है0 वाके ग्राम हिन्नोदा तहसील व जिला धौलपुर में निहित हिस्सा 1/5 भाग में से यानि 0.1615 है0 भूमि यानि 13 विस्वा का ही विक्रय किया अपीलार्थीया की 6.2 विस्वा यानि 0.0784 है0 भूमि शेष रही लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलार्थीया की सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरकरण गलत रूप से रेस्पोंडेण्टस संख्या 01 के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया तथा



उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (सज०)

राजस्व रिकॉर्ड अपीलार्थीया का नाम विलोपित कर दिया इसलिए नामा० निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जावे।

अपील प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है तथा कानून की कोई जानकारी किसी प्रकार से नहीं रही। नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीया को जमाबंदी की नकल दिनांक 27.07.2021 को प्राप्त करने पर हुई है जानकारी होते ही अपील अवधि अन्दर अवधि पेश की है तथा अपील किये जाने में जानबूझकर कोई लापरवाही व गफलतवाजी नहीं की है। अपीलार्थीया से अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोंडेंटस की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया।

अपीलार्थीया की ओर से अपील के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या 46 ग्राम हिन्नोदा संवत् 2076 की जमाबंदी, वयनामा दिनांक 0302.2012 शोकीन खां व अन्नो बहक श्यामबाबू यादव की प्रति तथा नकल नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 5.5.12 की प्रमाणित प्रति पेश की।

तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 16.12.2024 में मुताबिक वयनामा दिनांक 03.02.2012 ग्राम हिन्नोदा ख.नं. 204/1 में श्रीमती अन्नो पुत्री बोबद खां पत्नि अजीज खां ने अपने हिस्से 1/5 रकवा 19. 2 विस्वा में से 13 विस्वा भूमि का बेचान किया जाना अंकित किया है।

वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील अपीलान्त ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीया ने अपने हिस्सा 1/5 यानि 19. 2 विस्वा में से 13 विस्वा यानि 2/15 भाग 0.1615 है० भूमि का बेचान किया गया था इस प्रकार अपीलार्थीया की 1/15 भूमि शेष रही। परन्तु अपीलाधीन आदेश में संपूर्ण भूमि को रैस्पोंडेंटस संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया। अतः नामा० संख्या 226 दिनांक 05.05.2012 ग्राम पुरानी छावनी को निरस्त किया जाकर सही नामान्तरण खोले जाने आदेश प्रदान किए जावे। रैस्पों० के विद्वान अभिभाषक ने वहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीया की ओर से अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है। देरी का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्त म्याद के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

वहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वकील रैस्पोंडेंटस ने अपील म्याद बाहर होना कथन करते हुए अपील खारिज करने का कथन किया है। वकील अपीलान्त ने अपीलार्थीया का अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला होना तथा कानूनी जानकारी नहीं होना कथन करते हुए देरी का क्षमा करने का कथन किया है। मा० न्यायालयों द्वारा असंख्य प्रकरणों में अपील को म्याद के बिन्दु के बजाय गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने का मत व्यक्त किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा



उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (सज०)

05 म्याद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा प्रति एवं नामान्तरकरण की प्रति का अवलोकन किया। वयनामा शौकीन खां, श्रीमती अन्नो व हसन बहक श्यामबाबू यादव दिनांक 03.02.2012 के मुताबिक श्रीमती ने अपने 1/5 भाग 19.2 विस्वा में से 13 विस्वा का बेचान श्यामबाबू को किया गया है। इस प्रकार 62 विस्वा आराजी अपीलार्थीया की शेष रहती है जबकि नामा0 अपीलार्थीया की संपूर्ण 1/5 भाग का रेस्प0 संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 05.05.2012 के कॉलम संख्या 11 में उक्त वयनामा का अंकन है जिसके तहत शौकीन, अन्नो व हसन के संपूर्ण 3/5 भाग को श्यामबाबू के नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 226 ग्राम हिन्नोदा को दर्ज किए जाने में भूल की गई है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पुरानी छावनी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 226 तारीखी 05.05.2012 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पुनः जांच कर नियमानुसार सही नामान्तरकरण खोले जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ० सावित्रीशर्मा)
उपखण्ड (अधिकारी)
धौलपुर